केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00092

संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00113

अपीलकर्ता श्री एस.सी.दीक्षित

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 15.02.2025 |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 19.02.2025 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 28.02.2025 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री एस.अनंथारमन CPIO, (DR to IC VT) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | Nill |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 17.04.2025 |
| निर्णय की तारीख | 07.05.2025 |

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 15.02.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

"1.) प्रार्थी की द्वितीय अपील सं CIC/DSCDR/A/2022/145276/UM पर मा0 आयोग ने सभी सूचनाएं 21 दिन के अंदर देने का आदेश दिनांक 07.08.2023 पारित किया जा चुका है। सूचना न दिए जाने पर पत्र दिनांक 20.10.2023 पंजीकरण पत्र सं ED452805821IN द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया जा चुका है। कार्यवाही के बारे में कई बार आयोग के संबंधित बेंच के उप रजिस्ट्रार श्री एस. अनंथारमन से मिला गया तो उपरोक्त अधिकारी ने DSCDR के PIO द्वारा दिए गये जवाब

का हवाला देकर वापस कर दिया है। अतः प्रार्थी को निम्न सूचनाएं उक्त अधिनियम के तहत प्रदान की जाये।

1.) कि मा0 आयोग के आदेश की अवहेलना पर नियमानुसार कार्यवाही की प्रक्रिया की सूचना दी जाये तथा उक्त शिकायत पर कृत कार्यवाही की सूचना दी जाये।

2.) कि मा0 आयोग के उक्त अधिकारी ने प्रार्थी को एक वर्ष से अधिक समय तक गुमराह किया है। इस पर लिखे पत्र दिनांक 20.10.2023 पर सर्वप्रथम तो कहा गया कि DSCDR के PIO आपके केस की सुनवाई का अपने पत्र में लिख चुका है। जबकि नियमानुसार मा0 आयोग का क्षेत्राधिकार मांगी गई सूचना दिलाने तक ही सीमित है।

3.) कि उक्त अपील पर निर्णय के पश्चात भी कोई कार्यवाही न होने के लिए उक्त अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है जिसके लिए नियमानुसार कार्यवाही करते हुए सूचना प्रदान की जाये।

4.) कि मा0 आयोग के उत्तर अधिकारी द्वारा सूचना प्राप्तकर्ता के साथ इस प्रकार की लापरवाही के लिए प्रक्रिया बताते हुए कृत कार्यवाही की सभी सूचनाएं प्रदान की जाए।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस.अनंथारमन, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 28.02.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"1. No action was taken on your letter dated 20.10.2023.

2.to 4. No specific information has been sought. However, it is pointed out that the Respondent authority (DSCDR, Delhi) have provide a detailed point – wise reply to you in complicance of CIC order No. CIC/DSCDR/A/2022/145276 dated 07.08.2023.

The grievances mentioned by you in the RTI application do not fall in the ambit of section 2 (f) of the RTI Act, 2005."

3. प्रथम अपील का आधार

प्रार्थी ने पत्र दिनांक 15.02.2025 के माध्यम से कुछ सूचनाएं मांगी थी। किन्तु केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने अभी कोई भी सूचना नहीं प्रदान की है। श्रीमान जी से अपील की जाती है कि उक्त पर उचित कार्यवाही करते हुए सभी सूचनाएं प्रदान की जाये।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00113 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन

सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारीयों ने 28.02.2025 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक - 07.05.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

8/5/25

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
08 MAY 2025
D. No. ...........
Initials...........